पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 08 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक–30.06.2024

दिनांक 29/30.06.2024 को थाना आशियाना 03, गाजीपुर 03, जानकीपुरम 02 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 08 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना गोमतीनगर–दिनांक 30.06.2024 को थाना गोमतीनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री श्याम वर्मा पुत्र स्व0 सम्भू प्रसाद निवासी–राम आसरे पुरवा, खरगापुर, थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ ने थाना गोमतीनगर पर सूचना दिया कि वादी की पुत्री आरोही कुमारी उम्र करीब 11 वर्ष व पुत्र आयुष कुमार उम्र करीब 09 वर्ष दिनांक 29.06.2024 को समय करीब 12.00 बजे दोपहर में घर से खरगापुर मंडी में सामान लेने गये हुये थे। वहां पर एक अज्ञात पिकप बोलेरो के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर वादी के पुत्र व पुत्री का एक्सीडेंट कर दिया गया। वादी के पुत्र व पुत्री को इलाज के लिए लोहिया हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर डाक्टरों ने वादी की पुत्री आरोही कुमारी उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया व वादी का पुत्र बुरी तरह से घायल है। वादी की पुत्री की बॉडी लोहिया हॉस्पिटल में है व पुत्र घर पर है। **इस सूचना पर थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0 289/2024 धारा 279/338/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना चिनहट–दिनांक 30.06.2024 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि वादी श्री सुधीर कुमार पुत्र वंशीलाल यादव निवासी–लौलाई थाना चिनहट लखनऊ ने थाना चिनहट पर सूचना दिया कि दिनांक 28.06.2024 को वादी का भाई बलवीर यादव काम पर से घर वापस आ रहा था कि तभी गांव के बाहर चक्की के पास दुकान पर घर का कुछ सामान लेने के लिए रूका तभी गांव के ही रोहित पुत्र कृष्ण कुमार यादव ने वादी के भाई बलवीर उपरोक्त के ऊपर ईंट लेकर जानलेवा हमला कर दिया जिससे वादी के भाई का सिर फट गया और वह जमीन पर गिर गया व बहुत खून बहने से वादी का भाई बेहोश हो गया। सूचना मिलने पर वादी लोग अपने भाई को चिनहट थाना पर लेकर गये और उसको लोहिया हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया जहां पर वादी के भाई का इलाज चल रहा है। **इस सूचना पर थाना चिनहट पर मु0अ0सं0 302/2024 धारा 323/308 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना विभूतिखण्ड–दिनांक 30.06.2024 को थाना विभूतिखण्ड द्वारा बताया गया कि वादी श्री मलिक नौमानी पुत्र श्री खुर्शीद नौमानी निवासी–कल्याणपुर आदिलनगर लखनऊ ने थाना विभूविखण्ड पर सूचना दिया कि दिनांक 29/30.06.2024 को रात्रि करीब 02.10 बजे से 02.30 बजे के बीच में डीएलएफ माई पैड जो कि गोमतीनगर में स्थित है वहां पर वादी अपने कुछ और साथियों के साथ अपने एक मित्र से मिलने गये हुये थे क्योंकि उसके मित्र का जन्म दिन था। रात को वहां से लौटते समय एक काले रंग कि फार्चूनर गाड़ी जिसमें कोई नम्बर प्लेट नहीं थी वह गाड़ी वादी के मित्र मिसबा के सामने आयी और उस गाड़ी में से एक लड़के ने बंदूक निकाल कर वादी के मित्र के ऊपर गोली चलाई। वादी छुप गया इसलिए बच गया और उस गाड़ी में एक लड़की भी मौजूद थी। वहां पर उस गाड़ी में से और लोग बोल रहे थे कि फैज भाई, नहीं और इसके बाद उक्त गाड़ी वहां से भगा ले गया। सूचना पर मौके पर पुलिस आई और वादी लोगों लेकर थाने पर लाकर कम्प्लेन दर्ज करायी। संदिग्ध व्यक्ति फैज है। वादी उसका चेहरा पहचानता है। फैज उपरोक्त ने शराब पी रखी थी। उक्त पूरा घटनाक्रम डीएलएफ में लगे सीसीटीवी में रिकार्ड है। **इस सूचना पर थाना विभूतिखण्ड पर मु0अ0सं0 216/2024 धारा 307 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**